

## कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई निविदा सूचना

क्रमांक / लो.क.वि. / जोन-1 / 595

भिलाई, दिनांक 10/7/23

आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई की ओर से लोक निर्माण विभाग में ई-रजिस्ट्रेशन में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 एवं सड़क एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2015 से लागू एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक एवं आयटम दर पर निम्नांकित कार्य दिनांक 01.08.2023 को सायं 5.30 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 02.08.2023 को प्रातः 11.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन दिनांक 26.07.2023 को सायं 5:30 बजे तक निर्धारित राशि के साथ आवेदन स्वीकार किये जावेगा।


क्र.	कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
1.	वार्ड-12 आर्य नगर कोहका में अनिता वर्मा के घर से लेकर दीपक साहू के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य।	10.00	7500.00	750.00	90 दिन	द एवं प्रवर
2.	वार्ड-12 विवेकानंद कॉलोनी में संदीप चटर्जी के घर से लेकर आईडल पब्लिक स्कूल तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	6.99	5500.00	750.00	90 दिन	द एवं प्रवर
3.	वार्ड-12 शिक्षक नगर लक्ष्मण यादव के घर से लेकर मुनीर के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	4.99	5000.00	750.00	90 दिन	द एवं प्रवर
4.	वार्ड-03 मॉडल टाउन अंतर्गत मंच/भवन का संधारण एवं चैनलिंग फेंसिंग का संधारण कार्य।	3.54	4000.00	750.00	90 दिन	द एवं प्रवर
5.	पार्षद निधि से वार्ड-08 बलराम चौक कृष्णा नगर में नई सुविधा अंतर्गत सांस्कृतिक मंच/भवन का संधारण एवं उन्नयन कार्य।	3.98	4000.00	750.00	90 दिन	द एवं प्रवर
6.	वार्ड-18 कान्स्ट्रक्टर कॉलोनी अजय मुर्गी फार्म, सरदार मोहल्ला, तारा लाल चंद्रवंशी से आनंद साहू घर तथा तिरंग चौक के पास पावर पंप के माध्यम से पीने योग्य पानी आपूर्ति हेतु पाईप लाइन का संधारण कार्य।	2.88	3000.00	750.00	60 दिन	द एवं प्रवर
7.	वार्ड-10 लक्ष्मी नगर, राउत पारा, शक्ति चौक एवं सिन्हा भवन के पास पावर पंप के माध्यम से पीने योग्य पानी आपूर्ति हेतु पाईप लाइन का संधारण कार्य।	2.83	3000.00	750.00	60 दिन	द एवं प्रवर
8.	पार्षद निधि से वार्ड-01 जुनवानी चौक में स्थित छत्तीसगढ़ महतारी सार्वजनिक भवन में नयी सुविधा अंतर्गत संधारण कार्य। (वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24)	3.50	4000.00	750.00	90 दिन	द एवं प्रवर

क्रमशः 2



कार्य का नाम	निविदा लागत (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि	ठेकेदार की श्रेणी
9. वार्ड-09 गौतम नगर पुड़की पारा में पावर पंप के माध्यम से पीने योग्य पानी आपूर्ति हेतु पाईप लाईन का संधारण कार्य।	0.97	2000.00	300.00	60 दिन	द एवं प्रवर
10. वार्ड-06 संजय नगर लोहिया पेट्रोल पंप के पीछे बस्ती में पावर पंप के माध्यम से पीने योग्य पानी आपूर्ति हेतु पाईप लाईन का संधारण कार्य।	0.93	2000.00	300.00	60 दिन	द एवं प्रवर

नियम एवं शर्तें:- 1. शर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। 2. निविदा स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से स्वीकार किये जावेंगे। 3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता /जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से तथा प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारी ई-पंजीयन, पेनकार्ड, आयकर, जीवित बैंक सालवेंसी अधिनियम लागू होगी। 4. सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी भी अंश को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। 5. कर्मकार कल्याण उपकर निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1 % राशि की कटौती की जावेगी, किन्तु निगम वाहनों से जल उपलब्ध कराने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। 6. निगम क्षेत्र के स्ट्रोतों से स्वयं के वाहनों से पानी लेने पर 0.5 % की कटौती की जावेगी। 7. ठेकेदार द्वारा निविदा में अंको एवं शब्दों दोनों में स्पष्ट रूप से दरे प्रस्तुत करें नहीं किये जाने पर निविदा फार्म निरस्त किया जावेगा। 8. शासन के आदेश क्रमांक 19 दिनांक 04.06.2016 के सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि एफ.डी.आर. के रूप में निविदा के पूर्व जमा करना होगा। 9. शासन के निर्देशानुसार श्रमिकों से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का पी.एफ. कटौती किया जाना है तथा बैंको में खाता खोलकर सीधे उनके बैंक खाते में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा किया जाना है। 10. प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर, काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। 11. यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। 12. प्रत्येक कार्य के लिए पृथक-पृथक धरोहर राशि जमा करें एवं समयोजन की कार्यवाही नहीं होगी। 13. शासन के निर्देशानुसार G.S.T. एवं अन्य कर सम्मिलित रहेगा। 14. निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक एजेंसी प्रत्येक कार्य के लिए राशि रु. 100.00 स्टाम्प एफिडेविट संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15. किसी भी विवाद स्थिति में आयुक्त/जोन आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय एवं तिथि में कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई नेहरु नगर जोन-01, नगर निगम भिलाई की वेबसाइट [www.bhilainagarnigam.com](http://www.bhilainagarnigam.com) अथवा संचालनालय की वेबसाइट [www.uad.cg.gov.in](http://www.uad.cg.gov.in) एवं चीप्स की वेबसाइट [eproc.cgstate.gov.in](http://eproc.cgstate.gov.in) से देखी जा सकती है।



जोन आयुक्त  
जोन-01  
नगर पालिक निगम,  
भिलाई

o/c